

13/10/25

पत्राण आज वेग हुई। जमीन वकील उपर
मूल वाद पत्र जोर-बैस के आधार पर
स्वारीज किया जा चुका है। प्रार पत्र
212 RAA का चलाने का कोई औचित्य
नहीं है। अतः पत्राण इसी स्तर पर
स्वारीज की जाती है। पत्राण फंसल
शुमार लेकर दाखिल दफ्तर हो।

अधिकारी
(भरतपुर)

